प्रियंकंवर गु० राज. सरकार

प्र.सं. 46/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10-06-25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० अप्रार्थीगण सं. 13 व 17 की ओर से एड. श्री हंसराज जांगिड ने वकालतनामा पेश किया। वास्ते इत्तलातामील, जवाब अप्रार्थीगण सं. 8, 12, 13, 16, 17, 18 पत्रावली दिनांक 13/06/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
13-06-25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप० अप्रार्थीगण सं. 13 और 17 की ओर से एड० श्री हंसराज जांगिड ने जवाब पेश किया साथ ही दस्तावेजों की सूची पेश की। नकल प्रार्थी वकील दिलवायी गयी। अप्रार्थीगण सं. 8, 12, 16, 18 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। अतः जवाब बंद किया जाता है। शेष अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4, 7, 9 लगा. 11, 14, 15, 17, 20 लगा. 22 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये। अतः अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 4, 7, 9 लगा. 11, 14, 15, 17, 20 लगा. 22 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 16/06/25 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
16-06-25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण प्रा.पत्र एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट अंतर्गत धारा 128, 111 राजस्थान (?) किये जाने बाबत स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर स्थाई निषेधाज्ञा (?) पत्थरगढ़ी [signature] उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

प्रेमदेवी ब0 राज्य सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	प्र0सं0 46/2025	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।		
16/6/25		
उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

मुकदमा संख्या–46/2025

1. प्रेम कंवर पत्नि हणवीर सिंह उम्र 60 वर्ष
2. हणवीर सिंह पुत्र आनन्द सिंह उम्र 65 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासी साहुपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

–: प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
2. रामकिशोर पुत्र कन्हैयालाल
3. कमलेश पुत्री कल्याण
4. मनोहर लाल पुत्र कन्हैयालाल
5. रामफूल पुत्र धन्नाराम
6. लल्ली पत्नि सुरजन
7. सतीश पुत्र मोहनलाल
8. सुरजन पुत्र धन्नाराम

(2 से 8) समस्त जाति मीणा निवासी मोतीपुरा तहसील बांदीकुई।

9. जनता पत्नि हरकेश
10. हरकेश पुत्र रामकरण

(9 व 10) जाति गुर्जर निवासी साहुपाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

11. गज्जू कंवर पत्नि युगवीर सिंह जाति राजपूत निवासी साहुपाडा तहसील बांदीकुई।
12. नत्थी देवी पत्नि इन्द्राज
13. बदाम देवी पत्नि रमेश

(12 व 13) जाति जोगी निवासी साहुपाड़ा तहसील बांदीकुई।

14. मूली देवी पत्नि रामजीलाल जाति माली निवासी सिकन्दरा तहसील सिकराय।
15. युगवीर सिंह पुत्र आनन्द सिंह जाति राजपूत निवासी साहुपाडा तहसील बांदीकुई ।
16. ललता देवी पत्नि ग्यारसीलाल
17. सीमा देवी पत्नि भागचन्द
18. सोनी देवी पत्नि रामलाल

(16 से 18) जाति जोगी निवासी साहुपाडा तहसील बांदीकुई।

19. पंजाब नेशनल बैंक शाखा सिकन्दरा जरिये शाखा प्रबन्धक सिकन्दरा तहसील सिकराय।
20. कार्पोरेशन बैंक शाखा पीचूपाडा खुर्द जरिये शाखा प्रबन्धक तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
21. मरुधरा ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक शाखा बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
22. पंजाब नेशनल बैंक शाखा बांदीकुई जरिये शाखा प्रबन्धक बांदीकुई जिला दौसा।

–: अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट

स्थाई चिन्ह/पत्थरगढी किये जाने बाबत्

दिनांक निर्णय–16.06.2025

(हस्ताक्षर)

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट स्थाई चिन्ह/पत्थरगढी किये जाने बाबत् प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री वीरेन्द्र सिंह कुशवाह ने दिनांक 14.05.2025 को पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या नया 65 पुराना 62 खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.00 हैक्टे कुल किता 01 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर वाके ग्राम मोतीपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है।

प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि वर्णित चरण संख्या 01 प्रार्थना पत्र के पडौसी खातेदारान अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 08 की खातेदारी की भूमि 381/559 तथा अप्रार्थीगण संख्या 09 लगायत 10 की खातेदारी की भूमि का खसरा नम्बर 600/381 एंव अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 18 की खातेदारी की भूमि का खसरा नम्बर 381/559 की भूमि स्थित है।

अप्रार्थीगण संख्या 02 लगायत 18 झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो काश्त के समय हर बार सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढी नहीं होने के कारण प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की सुरक्षा दीवार भी नही कर पा रहे है जिससे आवारा पशु प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुँचाते है। पत्थरगढी नहीं होने के कारण सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण से विवाद होता रहता है जिसके कारण पक्षकारान में झगडा फसाद होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रार्थीगण की आराजीयात की सीमाओं के विवाद के स्थाई समाधान के लिए प्रार्थीगण की आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.00 हैक्टेयर स्थित वाके रामा मोतीपुरा, तहसीलदार बांदीकुई के आदेश कमांक/भू.अ./2025/1761–62 दिनांक 01–05–2025 की पालना में दिनांक 05/05/2025 को सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में मौके पर करवा दिया गया है।

प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.00 हैक्टेयर स्थित वाके रामा मोतीपुरा की सीमाओं का सीमा ज्ञान हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण / पडौसी खातेदारान मौके पर विवाद कर रहे है तथा प्रार्थीगण को मुताबिक सीमाज्ञान तारबन्दी में भी बाधा उत्पन्न कर रहे है इस कारण प्रार्थीगण पटवार हल्का पीचूपाडा कला तहसील बांदीकुई का दिनांक 05.05.2025 को किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन इंसाफन जरूरी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण में तलबी अप्रार्थीगण जर्ये नोटिस करवाई गई। अप्रार्थीगण संख्या 8, 12, 13, 16, 17, 18 न्यायालय में उपस्थित आये। इस बाबत् आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 19 के नोटिस अदम प्राप्त हुये। प्रार्थीगण वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत हजफ फरमाने नाम अप्रार्थीगण संख्या 5, 6, 19 का पेश किया। प्रार्थना पत्र बाबत् हजफ फरमान नाम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 5, 6, 19 का नाम हजफ करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण संख्या 13 व 17 की ओर से

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

एडवोकेट श्री हंसराज जांगिड ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 13 व 17 की ओर से जवाब पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 13 व 17 की ओर से प्रस्तुत जवाब में बताया की प्रार्थीगण द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और प्रार्थीगण को उक्त भूमि अलोटमेन्ट हुई थी जिससे प्रार्थीगण को अलोटमेन्ट होने के समय से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण का कोई कब्जा नही है। यह तथ्य अप्रार्थीगण संख्या 13 व 17 का कब्जा प्रार्थीगण कि भूमि में होने से व मकान आदि रहवास आदि से साबित होता है कि अलोटमेन्ट भूमि में अलोटमेन्ट होने के बाद प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। कानूनन अलॉटमेन्ट भूमि पर कब्जा नहीं हो तो अलॉटमेन्ट स्वतः निरस्त होता है। अप्रार्थीगण संख्या 8, 12, 16, 18 द्वारा कोई जवाब पेश नही किया गया। प्रकरण में जवाब बंद कर बहस में नियत किया गया।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.00 हैक्टेयर स्थित वाके रामा मोतीपुरा की सीमाओं का सीमाज्ञान हो जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण/पडौसी खातेदारान मौके पर विवाद कर रहे है तथा प्रार्थीगण को मुताबिक सीमाज्ञान तारबन्दी में भी बाधा उत्पन्न कर रहे है इस कारण प्रार्थीगण पटवार हल्का पीचूपाडा कला तहसील बांदीकुई का दिनांक 05.05.2025 को किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है और प्रार्थीगण को उक्त भूमि अलोटमेन्ट हुई थी जिससे प्रार्थीगण को अलोटमेन्ट होने के समय से लेकर आज दिन तक प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। यह तथ्य अप्रार्थीगण संख्या 13 व 17 का कब्जा प्रार्थीगण कि भूमि में होने से व मकान आदि रहवास आदि से साबित होता है कि अलोटमेन्ट भूमि में अलोटमेन्ट होने के बाद प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। कानूनन अलॉटमेन्ट भूमि पर कब्जा नहीं हो तो अलॉटमेन्ट स्वतः निरस्त होता है।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन मूलरूप से खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.00 है0 पर पत्थरगढी किये जाने का है। प्रार्थी अपने कथन के समर्थन में ग्राम मोतीपुरा के खाता संख्या नया 65 पुराना 62 खसरा नम्बर 599/381 संवत् 2075–2078 की जमाबंदी पेश की है तथा सीमाज्ञान मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 05.05.2025 की छायाप्रति पेश की गई है। जमाबंदी संवत् 2075–78 खाता संख्या नया 65 के अनुसार प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है। उक्त कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण द्वारा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश नही किये गये है। जबकी मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 05.05.2025 को वादगस्त भूमि का सीमाज्ञान होना बताया गया है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार है इसलिये दिनांक 05.05.2025 किये गये सीमाज्ञान के मुताबिक पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान लैंड

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

हेतु एकल स्थाई चिन्ह/पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बांदीकुई वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 86 पुराना 62 के खसरा नम्बर 599/381 रकबा 2.00 हैक्टेयर स्थित ग्राम मोरीपुरा का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 06.06.2025 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवावें। तहसीलदार बांदीकुई को तामील जारी होकर प्रकरण बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

16.6.25

[illegible] अग्रवाल
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई